**FORM NO III**

## फर्द अहकाम

29/11/24

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ (अजमेर)

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थी

**बनाम**

1. ग्राम पंचायत सरगांव जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सरगावं तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थी

किस्म मुकदमा – धारा 131,132 भू राज अधिनियम 1956 तथा नियम 58,59,60,66,86 राज भू अभिलेख नियमावली 1957।

नंबर **267/2024**

ऑन लाईन नंबर **2024/.....**

वकील प्रार्थीः– तहसीलदार किशनगढ वकील अप्रार्थी ........................

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 29.11.2024 | यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार किशनगढ द्वारा अन्तर्गत धारा 131,132 भू राज अधिनियम 1956 तथा नियम 58,59,60,66,86 राज भू अभिलेख नियमावली 1957 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बीती पटवारी हल्का बीती भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरणा तहसील किशनगढ स्थित भूमि खसरा संख्या 203 कुल रकबा 21.8430 हैक्ट. किस्म चरागाह मे से 0.1800 हैक्ट. रकबा में रारी से बीती तक डामर सडक मार्ग मौके पर बना होने से उक्त रकबा को रास्ते हेतु अधिगृहित कर उक्त भूमि में रास्ता कायम करने व रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज करने बाबत न्यायालय हाजा में पेश किया गया।<br>हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र का अवलोकन एंव अध्ययन किया गया ग्राम बीती पटवारी हल्का बीती भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरणा तहसील किशनगढ स्थित भूमि खसरा संख्या 203 [illegible] जो कि राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा [illegible] के अनुसार प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है तथा चरागाह भूमि में [illegible] रास्ता दिया जाना प्रतिबन्धित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना [illegible] अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>किशनगढ़ (अजमेर) | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.11 12:19:34 IST
Reason: SelfAttested